2021/104

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 31/2021 तारीखरजू:– 16/6/2021

उनवान:– भरतलाल बनाम धर्मसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
16/6/2021	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 13.7.2021 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 534/0.14, 535/0.13,536/0.18, 548/0.20, 549/0.22, 550/0.14 कुल किता 6 कुल रकवा 1.01 ग्राम घाटरा शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे सायलान के हिस्से मे दर्ज भूमि पर कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे व सायल के हिस्से मे दर्ज भूमि पर निर्माण नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.07.2021 को पेश [illegible] (हेमा [illegible] मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2783-87 16-6-21

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम
7/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते बहस मौका रिपोर्ट दिनांक 25/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते बहस मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.24 को पेश हो।
8/8/24	बादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... एलपीजुनवाई में पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... ~~10.8.24~~ 14.8.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
14/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नही हुआ। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम पैरवी व अदम हाजिरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested